

श्री जयप्रकाश शिक्षा संस्थान, मेरठ, उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन-2 समुदाय केंद्र,
प्रो. सि. विहार नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक:

दिसम्बर, 1995

विषय:- जे.पी.ओ. एकाडेमी मवाना रोड मेरठ को सी.बी.सी.ई.ओ.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुमति प्रमाणपत्र दिये जाने के संबंध में ।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह क्ले का निदेश हुआ है कि जे.पी.ओ. एकाडेमी, मवाना रोड, मेरठ को सी.बी.सी.ई.ओ.ई. नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विभिन्न बर्खास्तियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैशिक शिक्षा परिषद/की-सिल फार दि इंडियन स्कूल बोर्ड दिल्ली द्वारा अनुदान प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मांगता-तिया राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था वैशिक एवं अधिस्तार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा शर्तों का लागू उपलब्ध करीये जायेगे ।

.... 2

For Jai Prakash Educational Trust Society


Secretary/Treasurer


PRINCIPAL
J. P. ACADEMY
P. O. Rajpura, Mawana Road
MEERUT - 250 001

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी जांचें/अभियान किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतियों में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वाग्रहों के विना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय द्वारा लिया जा रहा शिक्षण शुल्क क्षेत्रस्थ अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थाओं से अधिक नहीं है तथा वह निम्न धार्मिक शुल्क कम कर दिया गया है।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या अक्षमता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुप्राप्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

महोदय,
अधीक मांयुनी
संयुक्त सचिव।

पूरा सं० 306/1111/15-7-1995 तददिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- 4- निरीक्षक, मांगल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, जे.पी.ओ. एकाडेमी मवाना रोड, मेरठ।

For Jai Prakash Educational Trust Society

CTC

[Handwritten Signature]

Secretary/Treas

PRINCIPAL

J. P. ACADEMY

P. O. Rajpura, Mawana Road

MEERUT - 250 001

आज्ञा से,

अधीक मांयुनी
संयुक्त सचिव।